Section 112: Appeals to Appellate Tribunal

- (1) Any person aggrieved by an order passed against him under section 107 or section 108 of this Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act may appeal to the Appellate Tribunal against such order within ¹three months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal.
- (2) The Appellate Tribunal may, in its discretion, refuse to admit any such appeal where the tax or input tax credit involved or the difference in tax or input tax credit involved or the amount of fine, fee or penalty determined by such order, does not exceed fifty thousand rupees.
- (3) The Commissioner may, on his own motion, or upon request from the Commissioner of State tax or Commissioner of Union territory tax, call for and examine the record of any order passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act or the State Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the said order and may, by order, direct any officer subordinate to him to apply to the Appellate Tribunal within ²six months from the date on which the said order has been passed for determination of such points arising out of the said order as may be specified by the Commissioner in his order.
- (4) Where in pursuance of an order under sub-section (3) the authorised officer makes an application to the Appellate Tribunal, such application shall be dealt with by the Appellate Tribunal as if it were an appeal made against the order under sub-section (11) of section 107 or under sub-section (1) of section 108 and the provisions of this Act shall apply to such application, as they apply in relation to appeals filed under sub-section (1).

¹ The start of "three months period" under section 112(1) of CGST Act, 2017, shall be considered to be the later of the following dates:-

⁽i) date of communication of order; or

⁽ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office.

By CGST (Ninth Removal of Difficulties) Order, 2019 issued under C.B.I. & C. Order No. 9/2019-Central Tax, dt. 03-12-2019.

² The start of "six months period" under section 112(3) of CGST Act, 2017, shall be considered to be the later of the following dates:-

⁽i) date of communication of order; or

⁽ii) the date on which the President or the State President, as the case may be, of the Appellate Tribunal after its constitution under section 109, enters office.

⁻By CGST (Ninth Removal of Difficulties) Order, 2019 issued under C.B.I. & C. Order No. 9/2019-Central Tax, dt. 03-12-2019.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (5) On receipt of notice that an appeal has been preferred under this section, the party against whom the appeal has been preferred may, notwithstanding that he may not have appealed against such order or any part thereof, file, within forty-five days of the receipt of notice, a memorandum of cross-objections, verified in the prescribed manner, against any part of the order appealed against and such memorandum shall be disposed of by the Appellate Tribunal, as if it were an appeal presented within the time specified in sub-section (1).
- (6) The Appellate Tribunal may admit an appeal within three months after the expiry of the period referred to in sub-section (1), or permit the filing of a memorandum of cross-objections within forty-five days after the expiry of the period referred to in sub-section (5) if it is satisfied that there was sufficient cause for not presenting it within that period.
- (7) An appeal to the Appellate Tribunal shall be in such form, verified in such manner and shall be accompanied by such fee, as may be prescribed.
- (8) No appeal shall be filed under sub-section (1), unless the appellant has paid-
 - (a) in full, such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order, as is admitted by him, and
 - (b) a sum equal to twenty per cent. of the remaining amount of tax in dispute, in addition to the amount paid under sub-section (6) of section 107, arising from the said order ³[subject to a maximum of fifty crore rupees], in relation to which the appeal has been filed.
- (9) Where the appellant has paid the amount as per sub-section (8), the recovery proceedings for the balance amount shall be deemed to be stayed till the disposal of the appeal.
- (10) Every application made before the Appellate Tribunal,
 - (a) in an appeal for rectification of error or for any other purpose; or
 - **(b)** for restoration of an appeal or an application, shall be accompanied by such fees as may be prescribed.

Inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from

01-02-2019 by Noti. No. 02/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019.

www.cggst.com

धारा 112: अपील अधिकरण को अपीलें

- (1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ¹तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।
- (2) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार ग्रहण करने से इन्कार कर सकता है जहां अंतर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय या अंतवर्लित कर अथवा इनपुट कर प्रत्यय में अंतर या ऐसे आदेश द्वारा अवधारित जुर्माने या शास्ति की रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं है।
- (3) आयुक्त इस अधिनियम या राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के, उक्त आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के संबंध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए अभिलेख को स्वःप्रेरणा से या आयुक्त, राज्य कर या आयुक्त, संघ राज्यक्षेत्र के अनुरोध पर मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा और आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उस तारीख से जिसको उक्त आदेश पारित किया गया है, ²छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा।
- (4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी, अपील अधिकरण को आवेदन करता है, वहां अपील अधिकरण द्वारा उस आवेदन पर इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी जैसे कि वह धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के विरूद्ध कोई अपील हो और इस अधिनियम के उपबंध आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन फाइल अपीलों के संबंध में लागू होते है।
- (5) इस सूचना की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन कोई अपील की गई है, ऐसा पक्षकार जिसके विरूद्ध अपील की गई है, इस बात के होते हुए भी उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरूद्ध अपील नहीं की है, सूचना की प्राप्ति के पैतालीस दिन के भीतर आदेश, जिसके किसी

¹ केन्द्रीय माल और सेवा कर (किंटिनाईयों का नौवां निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 9/2019—केन्द्रीय कर] दिनांक 03.12.2019 द्वारा स्पष्ट किया गया है—उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (1) में ''उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की ईप्सा की गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को, संसूचना दी जाती है, तीन मास के भीतर ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील कर सकेगा'' की संगणना के प्रयोजन के लिए, तीन मास की अवधि का प्रारंभ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगा :

⁽i) आदेश की संसूचना की तारीख; या

⁽ii) वह तारीख जिसको धारा 109 के अधीन अपील अधिकरण के गठन के पश्चात् यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष पद ग्रहण करता है;

² केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों का नौवां निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 9/2019—केन्द्रीय कर] दिनांक 03.12.2019 द्वारा स्पष्ट किया गया है—

उस तारीख से जिसको धारा 112 की उपधारा (3) में "उक्त आदेश पारित किया गया है, छह मास में अपील अधिकरण को आवेदन करने का निदेश दे सकेगा" की संगणना के प्रयोजन के लिए छह मास की अविध का प्रारंभ निम्नलिखित तारीखों के उत्तरवर्ती तारीख को माना जाएगा :

⁽i) आदेश की संसूचना की तारीख; या

⁽ii) वह तारीख, जिसको धारा 109 में अपील अधिकरण के गठन के पश्चात् यथास्थिति, उसका अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है।

भाग के विरूद्ध अपील गई है, के संबंध में विहित रीति में सत्यापित प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा इस प्रकार निपटाया जाएगा जैसे यह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत की गई अपील हो।

- (6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास के भीतर कोई अपील ग्रहण कर सकेगा या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् पैंतालीस दिन के भीतर प्रति आक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने की अनुमति दे सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ज्ञापन को उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का पर्याप्त कारण था।
- (7) अपील अधिकरण को की जाने वाली अपील ऐसे प्ररूप में उस रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सिहत होगी, जो विहित की जाए।
- (8) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील तब तक फाइल नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी निम्नलिखित का संदाय न कर दे,—
 - (क) आक्षेपित आदेश से उद्भूत होने वाले कर, ब्याज, जुर्माने फीस और शास्ति की रकम के ऐसे भाग का पूर्णरूप से जो उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और
 - (ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त, उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत होने वाले विवादित कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि ³[अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अधीन रहते हुए,]।
- (9) जहां अपीलार्थी ने उपधारा (8) के अनुसार रकम संदत्त कर दी है वहां बकाया रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निपटारे तक रोकी हुई समझाी जाएंगी।
- (10) अपील अधिकरण के समक्ष-
 - (क) किसी अपील में त्रृटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए:
 - (ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु, प्रत्येक आवेदन ऐसी फीस के साथ होगा जो विहित किया जाए।

3 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।